सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आश्विन 26, शुक्रवार, *शाके* 1941–अक्टूबर 18, 2019 *Asvina 26, Friday, Saka 1941–October 18, 2019*	

भाग-1(ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 17, 2019

संख्या प. 16 (01) **गृह**-9/2019 **:-**यतः राज्य सरकार यह समझती है कि जिला जयपुर में स्थित इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सलाया मथूरा डीबीएन पाईप लाईन की आरओडब्लू के ग्राम निमेडा तहसील फागी में बने हुये रिपीटर स्टेशन (परिसर के खसरा नम्बर 1362, 1363 रकबा 5598 वर्गमीटर) को जिसके क्षेत्र का विवरण नीचे वर्णित है, से संबंधित जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या इसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा।

इसलिए अब राज्य सरकार एतद्द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप-खण्ड (घ) सपठित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 21/20/62 पोल **(I)** दिनांक 04.05.1963 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला जयपुर में स्थित इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सलाया मथूरा डीबीएन पाईप लाईन की आरओडब्लू के ग्राम निमेडा तहसील फागी में बने हुये रिपीटर स्टेशन (परिसर के खसरा नम्बर 1362, 1363 रकबा 5598 वर्गमीटर) को सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु उक्त अधिनियम के तहत सुरक्षा की दृष्टि से निम्नांकित सीमाओं वाले क्षेत्र को प्रतिषिद्व स्थान घोषित करती है।

<u>क्षेत्र का विवरण</u>

क्र.स.	नाम तहसील	ग्राम	भूमि ख.नं.	रकबा	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1.	फागी (जयपुर)	निमेडा	खसरा संख्या 1362, 1363	रकबा 5598 वर्ग मीटर	खसरा संख्या 1363	खसरा संख्या 1361 व 1360	खसरा संख्या 1545 व 1546	खसरा संख्या 1362

राज्यपाल की आज्ञा से,
पी.सी. बेरवाल,
विशिष्ठ शासन सचिव,
गृह विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।